संस्था प्रधान का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्रीमति पुत्री श्री.....
.....कक्षा.....सत्र 2024–25 में कृषि विषय की नियमित अध्ययनरत छात्रा है व इस कक्षा में पिछली कक्षा उत्तीर्ण करके प्रवेश लिया है तथा इसने श्रेणी सुधार/अनुत्तीर्ण होने के कारण इस कक्षा में पुनः प्रवेश नही लिया है। कृषि विभागीय दिशा–निर्देशानुसार उक्त छात्रा को प्रोत्साहन राशि के भुगतान की अभिशंषा की जाती है।

स्थानः–

दिनाँकः–

हस्ताक्षर संस्थान प्रधान

मय सील

कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि हेतु
आवेदन पत्र

छात्रा की फोटो

सेवामें,
श्रीमान् उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद जयपुर।

विषय :– कृषि संकाय में अध्ययनरत राजस्थान की मूल निवासी छात्राओं को वर्ष 2024–25 की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निम्न कृषि संकाय में अध्ययनरत राजस्थान की मूल निवासी छात्रा को वर्ष 2024–25 की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कराने का श्रम करावें। जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

छात्रा का नाम.....
पिता का नाम.....
जाति.....
गांव..... ग्राम पंचायत.....
पंचायत समिति..... जिला.....
महाविद्यालय/विद्यालय का नाम.....
कक्षा..... श्रेणी सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति.....
जन्म तिथि.....
बैंक खाता संख्या.....
बैंक का नाम..... आई.एफ.सी. कोड नं.....

मैं सशपथ बयान करती हुँ कि उपरोक्त तथ्य सही है तथा जिस वर्ष की प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किया जा रहा है इस से पूर्व में इस वर्ष की प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं की है और इसका पूर्व में आवेदन भी नहीं किया गया है तथा मैं सत्र के मध्य में शिक्षण संस्थान का त्याग नहीं करूगी/ मैं इस कक्षा में अनुर्तीण भी नहीं हुई हुँ/ मैं श्रेणी सुधार भी नहीं कर रही हुँ। अमान्य/ अनियमित राशि के भुगतान प्राप्त होने पर वापस लौटा दुगी।

हस्ताक्षर छात्रा

संस्था प्रधान व सहायक कृषि अधिकारी का प्रमाणीकरण व अनुशंषा

प्रमाणित किया जाता है कि यह शिक्षण संस्थान राजकीय/राज्य सरकार से कृषि संकाय में अध्यापन हेतु मान्यता प्राप्त है उक्त छात्रा सुश्री..... पुत्री.....
इस शिक्षण संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय में कक्षा..... की कृषि संकाय के मान्य कोर्स की नियमित छात्रा है। तथा सत्र के मध्य में शिक्षण संस्थान का त्याग नहीं करेगी/ इस कक्षा में अनुर्तीण भी नहीं हुई/ श्रेणी सुधार भी नहीं कर रहीं है। सत्र के मध्य में शिक्षण संस्थान छोडने पर तत्काल सूचित कर दिया जायेगा। छात्रा नियमानुसार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पात्र है। किसी भी अनियमित/अमान्य राशि के भुगतान होने पर अद्योहस्ताक्षर कर्ता उत्तरदायी होगें।

प्रमाणित हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
(क्षैत्रीय सहायक कृषि अधिकारी मय सील) (शिक्षण संस्थान प्रधान मय सील)

विद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्था द्वारा भिजवाईजाने वाली छात्राओं की सूचीः–
विद्यालय/महाविद्यालय का नामः– श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय (कृषि विश्वविद्यालय), जोबनेर
सत्र.....(सामान्य/एस.सी./एस.टी..) विद्यालय/महाविद्यालय/ शिक्षण संस्था की पंजियन संख्या

क्र. सं.	छात्रा का नाम/पिता का नाम	कक्षा	एस.आर.नं./एनरोलमेंट नं.	बैंक का नाम मय पता	बचत खाता संख्या
1.	2.	3	4	5	6

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह विद्यालय/महाविद्यालय/संस्था राजकीय है या राज्य सरकार से कृषि संकाय में अध्ययन हेतु नियमानुसार मान्यता प्राप्त है, उपरोक्त क्रम संख्या.....से.....तक सभी छात्राएँ इस विद्यालय/महाविद्यालय/संस्था में कृषि संकाय में नियमित रूप से मान्य कोर्स में अध्ययन कर रही है/नियमानुसार ही छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। तथा राजस्थान की मूल निवासी है, आधार कार्ड/जनाधार कार्ड/भामाशाह कार्ड, एस.सी. एस.टी., ओ.बी.सी. राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र आदि समस्त आवश्यक दस्तावेज बने हुए है, इस सत्र 2024–25 के ये आवेदन पत्र पूर्व में भुगतान हेतु प्रस्तुत नही किये गये है और इनका पूर्व में भुगतान भी प्राप्त नही किया गया है। ये छात्राएँ उसी कक्षा में अनुतीर्ण नही हुई है, श्रेणी सुधार हेतु पुनः उसी कक्षा में भी प्रवेश नही लिया है तथा सत्र के मध्य में विद्यालय/महाविद्यालय/संस्था को नही छोडा है और यदि सत्र के मध्य में छात्राओं द्वारा शिक्षण संस्थान छोडने पर तत्काल सूचित किया जायेगा, आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी आवश्यक दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों से मिलान कर प्रमाणित कर दिया गया है। तथा सम्बन्धित छात्रा का नाम, बचत खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि का मूल पासबुक से मिलान कर छायाप्रति को प्रमाणित कर दिया गया है। उक्त सभी छात्राओं द्वारा ऑनलाईन राज किसान पोर्टल पर आवेदन कर आवश्यक टोकन प्राप्त कर लिया गया है, ये नियमानुसार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पात्र है तथा इनको प्रोत्साहन राशि देने की अनुशंसा की जाती है। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है यथा गलत जानकारी देने, गलत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान होने पर, गलत बैंक खातें में राशि जमाहोने पर, दोहरा भुगतान होपे पर आदि, सम्बन्धित विद्यालय/महाविद्यालय/संस्था/अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी तथा वे उत्तरदायी होगे। तथा अनियमित/अमान्य राशि के भुगतान की वसूली की जावेगी।

प्रमाणित

क्षेत्रीय सहायक अधिकारी मय सील

हस्ताक्षर

विद्यालय/कॉलेज/महाविद्यालय
संस्था प्रभारी मय सील

क्र.सं	नाम/विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	छात्रा का नाम/पिता का नाम	श्रेणी	घर का पता	गृह जिला	कक्षा	प्रोत्साहन राशि	जन आधार कार्ड नं.	बैंक ब्रांच का नाम/कोड सं.	बचत खाता संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.